



2026:AHC:162815

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1602 सन् 2021

राजेश कुमार श्रीवास्तव (अर्दली)

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : जय प्रकाश प्रसाद

प्रत्युत्तरदातागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

(क्रम संख्या 105)

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जय प्रकाश प्रसाद तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 28.08.2020 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अमरोहा, जनपद अमरोहा के अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा 52 दिवस के अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन, जिस अवधि में याचिकाकर्ता अपनी चिकित्सीय स्थिति के कारण अवकाश पर था, तथा दिनांक 03.03.2020 से 20.06.2020 तक के वेतन के भुगतान, जिस अवधि में दिनांक 02.03.2020 को चिकित्सकीय रूप से कार्यभार ग्रहण करने हेतु स्वस्थ घोषित किए जाने के पश्चात भी याचिकाकर्ता को अपनी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई थी, को अस्वीकार कर दिया गया था।

3. संक्षेप में कथित तथ्य यह हैं कि अपने पैरों में दर्द के कारण याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.01.2020 को विभाग को विधिवत सूचित करने के पश्चात अवकाश ग्रहण किया तथा उसे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समय-समय पर बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई और वह दिनांक 02.03.2020 तक अवकाश पर रहा, जब उसे सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्वस्थ घोषित किया गया। इसके पश्चात याचिकाकर्ता का कथन है कि उसने दिनांक 03.03.2020 को कार्यभार ग्रहण किया, तथापि अगले दिन अर्थात् दिनांक 04.03.2020 से उसे सेवा में कार्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई। इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के साथ-साथ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया।

4. तत्पश्चात, दिनांक 10.06.2020 के आदेश द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रजिस्ट्रार ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष द्वारा पारित दिनांक 08.06.2020 के आदेश से अवगत कराया, जिसके द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराया जाए तथा उसके अर्जित अवकाश के संबंध में नियमानुसार आदेश पारित किया जाए। इसके पश्चात याचिकाकर्ता को दिनांक 26.06.2020 को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 20.08.2020, 23.08.2020 एवं 24.08.2020 को प्रस्तुत प्रत्यावेदनों, जो दिनांक 24.08.2020 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष को प्राप्त हुए थे, के बावजूद याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.01.2020 से 25.06.2020 तक अपनी सम्पूर्ण अनुपस्थिति की अवधि के लिए अर्जित अवकाश का दावा नहीं किया है और उसने केवल 52 दिवस के अर्जित अवकाश तथा शेष अवधि अर्थात् दिनांक 04.03.2020 से 25.06.2020 तक के वेतन का दावा किया है। तथापि, दिनांक 20.08.2020 के प्रत्यावेदन पर, जिसे राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रजिस्ट्रार को भी भेजा गया था, रजिस्ट्रार ने दिनांक 28.08.2020 के आदेश द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अमरोहा के अध्यक्ष को याचिकाकर्ता को 52 दिवस का अर्जित अवकाश, चिकित्सा व्यय तथा जनवरी, 2020 से जून, 2020 तक का वेतन प्रदान किए जाने का निर्देश दिया।

5. चूँकि दिनांक 28.08.2020 के पत्र द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रजिस्ट्रार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि याचिकाकर्ता 52 दिवस के अर्जित अवकाश, चिकित्सा व्यय तथा जनवरी, 2020 से जून, 2020 तक के वेतन का हकदार है, अतः उक्त के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुपालन में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अमरोहा के अध्यक्ष का यह दायित्व था कि वे नियमों के अनुसार उचित आदेश पारित करते।

6. उपर्युक्त दृष्टिकोण से, वर्तमान याचिका का **निस्तारण** प्रत्युत्तरदाता संख्या 5, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अमरोहा को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे तीन सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को 52 दिवस का अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा व्यय एवं जनवरी, 2020 से जून, 2020 तक का वेतन प्रदान किए जाने संबंधी औपचारिक आदेश पारित करें तथा सभी परिणामी भुगतानों का भुगतान छह सप्ताह के भीतर किया जाए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित नहीं किए जाते हैं और भुगतान नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को देय राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

(न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता)

04 अगस्त, 2026

शुभम आर्य